भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2386
उत्तर देने की तारीख 18 दिसंबर, 2023
सोमवार, 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

भारत से कुशल पेशेवर

2386. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी: श्री के. नवासखनी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वैश्विक कार्यबल में भारतीय कुशल पेशेवरों की भागीदारी बढ़ाने और देश में जनसंख्या के अनुपात में कौशल विकास के अंतर को पाटने हेतु उठाए गए कदमों का ब्योरा कया है;

(ख) क्या सरकार का वैश्विक बाजार में भारतीय कार्यबल के लिए रोजगार के गैर पारंपरिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने आईएलओ द्वारा यूनाइटेड नेशन्स ग्लोबल एक्सेलेरेटर ऑन जॉबस एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जस्ट ट्रांजिशन के लिए जी-20 नेताओं के समर्थन का स्वागत करने का संज्ञान लिया है, जो नौकरियां सृजित करने और वंचित लोगों हेतु सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने की एक पहल है?

उत्तर

कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य देश के युवाओं को भावी और उद्योग हेतु कौशल के लिए सक्षम बनाना है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) का प्रयास विभिन्न देशों के साथ सम्बद्ध होने और देश के युवाओं को लाभकारी रोजगार के अवसर सुलभ करने का रहा है। इस संबंध में, एमएसडीई ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 08 समझौता ज्ञापन वर्तमान में विभिन्न देशों अर्थात्: ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, यू.ए.ई. और यू.के. के साथ सक्रिय हैं। समझौता ज्ञापन कुशल

गतिशीलता के लिए सूचना विनिमय, मानक निर्धारण, अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, इंटर्नशिप आदि जैसे क्षेत्रों में भागीदार देश के साथ सहयोग के लिए व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए बजट घोषणा के अनुरूप, एमएसडीई ने विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। एसआईआईसी के स्थानों का चयन देश और क्षेत्रवार प्रवासन पैटर्न, विभिन्न क्षेत्रों में विदेश में मोबिलिटी की मांग और अन्य व्यवहार्यता मापदंडों पर आधारित है। एसआईआईसी की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। ये केंद्र गंतव्य-आधारित कौशल/पुनर्कौशल/कौशलोन्नयन सुविधा, नियोजन में सहायता, परामर्श, आकलन/ट्रेड परीक्षण, उत्प्रवास सहायता और नियोजन पश्चात सहायता प्रदान करके युवाओं को कुशल गतिशीलता की सुविधा प्रदान करेंगे।

वर्तमान में, दो एसआईआईसी एक वाराणसी में और दूसरा एसडीआई, भुवनेश्वर में, स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एनएसडीसी इंटरनेशनल (एनएसडीसी-आई) ने भारतीय कुशल कार्यबल की विदेश में मोबिलिटी, प्रशिक्षकों की क्षमता-निर्माण, नियोक्ता की भागीदारी आदि की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की व्यावसायिक संस्थाओं के साथ बिजनेस-टू-बिजनेस करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, एमएसडीई के तत्वावधान में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने अपनी कौशल आवश्यकताओं को समझने के लिए निम्नलिखित 16 देशों: ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, जापान, सऊदी साम्राज्य, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम का अध्ययन किया है।

इसके अतिरिक्त, भारत ने वैश्विक कौशल अंतराल को मैप करने के प्रयासों और वैश्विक स्तर पर कौशल अंतराल को दूर करने के लिए जी20 नीति प्राथमिकताओं के विकास का स्वागत किया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सांख्यिकीय डेटा को और सुदृढ़ करना, जॉब के डेटाबेस के लिए आईएलओ और ओईसीडी कौशल के कवरेज को जी20 देशों तक उचित रूप में विस्तार करना शामिल है।

(ख) और (ग) वैश्विक बाजार में भारतीय कार्यबल हेतु रोजगार के अवसरों में सुधार करने के लिए, पारंपरिक क्षेत्रों निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, रसद, विनिर्माण, मीडिया और मनोरंजन, खुदरा आदि के साथ उद्योग 4.0 जैसे कि कोडिंग, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3-डी प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट कौशल, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(घ) जी, हां। जी20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में, भारत ने यूएन ग्लोबल एक्सिलरेटर ऑन जॉब्स एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जस्ट ट्रांजिशन के कार्यान्वयन की प्रगति का स्वागत और सहयोग किया है, जो रोजगार सृजित करने और वंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने की एक पहल है।

*****